CNRNO.UPBB010034492026

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–1, बाराबंकी।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1516/2026

आकर्ष सिंह उर्फ यश उर्फ आकर्ष सिंह, उम्र करीब–32 वर्ष, पुत्र–श्री आदित्य नारायण सिंह, निवासी–96 एफ/1,अलोपी बाग, इलाहाबाद, दारागंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, 211006

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी।

अ0सं0–355/2026
धारा–331(4),305(A),317(2),61(2) बी0एन0एस0
थाना–कोतवाली नगर,बाराबंकी।

08.06.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र आवेदक/अभियुक्त आकर्ष सिंह उर्फ यश उर्फ आकर्ष सिंह की ओर से अ0सं0 355/2026, धारा– 331(4),305(A),317(2),61(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना– कोतवाली नगर, जिला–बाराबंकी के मामले में संस्थित किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त की पैरोकार नूपुर सूर्यवंशी के शपथपत्र से समर्थित है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह कथन किया गया कि, प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थनापत्र विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अजय कुमार सिंह द्वारा थाना प्रभारी मोहम्दपुर चौकी, जिला– बाराबंकी में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 19–04–2026 को अदम समय, स्थान वादी का घर बंगला संख्या सी–05, शालीमार पैराडाइज, सफेदाबाद, थाना कोतवाली नगर, बाराबंकी में, मैं और मेरा परिवार दिनांक 19 अप्रैल 2026 से काम के सिलसिले में घर से बाहर था और घर बन्द था। मेरे ड्राइवर अनिल कुमार यादव (मोबाइल नम्बर–8429732050) को कहा गया था कि वह घर में कभी– कभी आकर मेड सोनम से सफाई करवा दिया करे। दिनांक 30 अप्रैल 2026 को शाम करीब 4 बजे जब मैं घर वापस आया तो देखा कि मेरा ड्राइवर अनिल दोपहर में आकर नीचे का गेट खोलकर अन्दर मौजूद था। मेरे शयन कक्ष का दरवाजा बन्द था, मैंने अपनी चाभी से खोला। अन्दर गया तो बिस्तर पर सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी में लगा लॉकर का ताला खुला हुआ था और लॉकर पूरी तरह खाली था। घर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की एमसीबी (MCB) जानबूझकर गिरा दी गई थी जिससे घटना के वक्त कैमरे बन्द थे। चोरी गये सामान का ब्यौराः (क) सोने–हीरे के पैतृक एवं व्यक्तिगत जेवर (अधिकतर पुरखों की पीढ़ीगत सम्पति): **सूची–1** (सफेद सोना व हीरे के जेवर): सफेद सोने का

Digitally signed by VINAY KUMAR SINGH
Date: 2026.06.09 19:40:44 IST
Reason: Document Owner
Location: ADJ,Court No.01,Barabanki.

(रानी) हार, झुमकी के साथ, हीरे का हार, बाली के साथ–2 नग, हीरे का पेन्डेन्ट, बाली के साथ–2 नग, हीरे का मंगलसूत्र–1, नग, हीरे की चूड़ी (बंगल)–2 नग, सोने की सीकड़ वाली भारी चेन, सोने का क्राउन ब्रेसलेट, सोने का कड़ा–1 नग, सोने की अंगूठी 2 नग, सोने की चेन, पेन्डेन्ट के साथ –1 नग, हीरे की अंगूठी 2 नग, सोने की (कृष्ण) बाँसुरी 1 नग, सोने की चेन करीब 450 ग्राम (अलग से)–1 नग, सोने का कड़ा करीब 350 ग्राम (अलग से)– 1 नग, सोने का ब्रेसलेट (रोलेक्स की छाप वाला) – करीब 80 ग्राम 1 नग, **सूची–2** (कुन्दन, हीरे व पुराने जेवर), सामान्य मंगलसूत्र–1 नग, हीरे की चेन, पेन्डेन्ट और बाली का सेट–2 नग, तिकोनी सोने की बाली–2 नग, हीरे का ब्रेसलेट, नीली अँगूठी के साथ–1 नग, हीरे की अंगूठी–1 नग, सोने का कड़ा –1 नग (कार्तिए ब्रांड), सोने का गले का हार, बाली के साथ–2 नग, सोने का सुई धागा – 2 नग, बाली–4 नग, नेवी नीले रंग की सोने की टांप्स–2 नग, राधा–कृष्ण, गणपति का लॉकेट चेन के साथ, हीरे की बाली–2 नग, **सूची–3** (मोती, पन्ना व कुन्दन के जेवर कुल–14 नग): मोती के फूल वाली झुमकी का सेट–2 नग, सोने की फूल वाली चेन– 1 नग, हरे पन्ने का सेट, पेन्डेन्ट के साथ कान का–2 नग चैन सहित, मोती की नवरत्न माला–1 नग, मोती की ओवल नवरत्न माला –1 नग, पंखुड़ी बाली–2 नग, लेडी स्टेचू बाली–2 नग, मोर की पूँछ वाली बाली–2 नग, सोने का सेट– हार 1 नग कान की झुमकी 2 नग, स्टाइलिश सोने की बाली–2 नग, मोरपंखी मंगलसूत्र 1 नग, पन्ने की तिकोनी बाली–2 नग, लाल–सुनहरे जाल वाली बाली–2 नग, **सूची–4** (हीरे, जड़ाऊ व पुराने रजवाड़ा जेवर): हीरे का पूरा सेट–2 नग, बाली और चेन के साथ–1 नग, राधा–कृष्ण की पुरानी बाली (एन्टिक) –2 नग, नीली कृष्ण की पुरानी अँगूठी (एन्टिक) 1 नग, रजवाड़ा अँगूठी 1 नग, नीले हीरे का राधा–कृष्ण पेन्डेन्ट हीरे और सोने से बना–1 नग, नीले हीरे की राधा–कृष्ण बाली–2 नग, मोर की हीरे की अंगूठी–1 नग, लक्ष्मी जी का हार–1 नग बाली के साथ–2 नग, बेबी गुलाबी रजवाड़ा हार–1 नग, बाली के साथ–2 नग, हल्के हरे रंग का फूल सेट–1 नग, बाली के साथ–2 नग, पन्ने और गुलाबी रंग का जड़ाऊ हार–1 नग, बाली के साथ–2 नग, प्रदीप ज्वेलर का पूरा सेट–चैन–1 नग, पेन्डेट–1 नग, टप्स–2 नग सूची 5 (अन्य जेवर): चौकोर चूड़ी (बैंगल)– 2 नग, नेकलेस सोने का 1 नग, कान बाली–2 नग, तीन परत की लम्बी झुमकी वाली बाली–2 नग, सूची –6 (पैतृक हीरा सेट विशेष रूप से उल्लेखनीय) : सोने और हीरे का पूरा पैतृक सेट जिसमें हार, बाली व अन्य जेवर शामिल हैं। यह सेट हमारे परिवार की पीढ़ियों पुरानी धरोहर है। इसकी अनुमानित बाजार कीमत 1,50,00,000/–(एक करोड़ पचास लाख

रुपये) है। (ख) लाइसेंसी पिस्टल एवं शस्त्र लाइसेंसः लाइसेंसधारी का नाम अजय सिंह बघेल पिता का नाम श्री सत्य देव सिंह, लाइसेंस संख्या LN33590A7AB6418/2805/CANTT/ GKP एन.डी.ए.एल./ए.एल.आई.एस. संख्या 3359000104969020 15 वैधता 28 अप्रैल 2021 से 27 अप्रैल 2026 तक श्रेणी व्यक्तिगत/ आत्मरक्षा हेतु जारीकर्ता अधिकारी जिलाधिकारी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश चोरी हुआ सामान पिस्टल एवं मूल शस्त्र लाइसेंस (दोनों) (ग) नकद धनराशि रू नकद रुपये करीब 70,000/– (सत्तर हजार रुपये) चोरी गये सामान की कुल अनुमानित कीमत 8,00,00,000/– से 10,00,00,000/–(आठ करोड़ से दस करोड़) रुपये चोरी हो गये जिसके सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की जाये।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में यह कथन किया है कि प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रार्थी का पूर्व में कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र ना तो न्यायालय में दाखिल किया गया है और ना लम्बित है। प्रार्थी/अभियुक्त को अपराध संख्या–355/2026 में झूठा फंसा दिया गया है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन कथानक के अनुसार अजय कुमार सिंह दिनांक 19.04.2026 से 30.04.2026 तक पिछले दस से ग्यारह दिनो से किसी काम से घर पर नहीं थे जब वादी वापस लौटा तो उसने देखा कि लॉकर में रखी सभी वस्तुएं चोरी हो चुकी थी और लॉकर टूटा हुआ था। बरामदगी–मेमो का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। बरामदगी अभियोजन के कथानक के अनुसार पूर्ण रूप से संदिग्ध है। आवेदक को पुलिस द्वारा मौके पर गिरफ्तार नहीं किया गया है। आवेदक को उसके घर से दिनांक 05.05.2026 को गिरफ्तार किया गया है, किन्तु पुलिस द्वारा उसकी बरामदगी व गिरफ्तारी दिनांक 07.05.2026 को दिखाई गयी है। प्रार्थी को दुराशय से प्रस्तुत मामले में झूठा फॅसाया गया है। प्रस्तुत मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि वादी का सम्बन्धित ड्राइवर भी उसी घर में रहता था किन्तु उसे घटना की कोई जानकारी नही हुयी जो स्वयं में अभियोजन कथानक पर संदेह उत्पन्न करता है। अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया अभियोग आधारहीन है। आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नही है। उसके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। आवेदक दिनांक 07.05.2026 से जिला कारागार जिला बाराबंकी में निरूद्ध है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी इस बात की अण्टरटेकिंग देता है कि वह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मामले से सम्बन्धित व्यक्तियों को कोई धमकी अथवा लालच नहीं देगा। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नम्बर 18, बाराबंकी द्वारा प्रार्थी की जमानत दिनांक 16.05.2026 को निरस्त की जा चुकी है। प्रार्थी को यदि जमानत मिलती है तो उसका दुरुपयोग नही करेगा।

तदनुसार प्रार्थी को दौरान विचारण मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए तर्क किया गया है कि अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त के कब्जे से भारी मात्रा में चोरी गयी सम्पत्ति का माल बरामद हुआ है। अभियुक्त की भूमिका 'मुख्य षडयंत्रकारी' की है। अभियुक्त जमानत का पात्र नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में यह उल्लेखनीय है, जैसा कि जमानत पर आपत्ति करते हुये विद्वान ए0डी0जी0सी0(कि0) द्वारा तर्क भी प्रस्तुत किया गया है, कि प्रार्थी मुख्य अभियुक्त है। उसके द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सुनियोजित आपराधिक षडयन्त्र के जरिये शालीमर पैराडाइज, सफेदाबाद, बाराबंकी में स्थिति वादी के आवास में सेन्ध लगाकर लॉकर तोड़कर चोरी की गयी एवं सोने, हीरे के जेवरात जोकि उसके पुरखों की सम्पत्ति हैं एवं लाइसेन्सी पिस्टल तथा नकदी, जिसकी कीमत आठ–दस करोड़ रूपये हैं, अपने साथ ले गये। अभियोजन का यह भी कथन है कि प्रस्तुत मामले के सी0डी0 के पर्चा नम्बर 2 के अनुसार दिनांक 06.05.2026 को अभियुक्त आकर्ष सिंह उर्फ यश पुत्र आदित्य नारायण सिंह निवासी A11 शालीमार पैराडाइज थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी व मूल पता 96 F/1 अलोपी बाग थाना दारागंज जनपद प्रयागराज उम्र करीब 32 वर्ष की जामा तलाशी से उसके पास से एक क्रीम कलर का DA Millano कम्पनी का बैग बरामद हुआ। बैग को खोलकर चेक किया गया तो उसमे दो अदद पीली धातु की अंगूठी, सफेद चमकीला व पीला धातु का एक पेंडेड व उसी धातु की एक जोड़ी कान की रिंग, पीली धातु का एक रजवाड़ा हार, एक जोड़ी पीली धातु की इयर रिंग, सफेद चमकीली व पीली धातु का एक हार टूटा हुआ, सफेद चमकीली व पीली धातु की अंगूठी, एक जोड़ी कान के टप्स लाल नग व पीली धातु की व सफेद नग व पीली धातु की झुमकी लाल सफेद रंग की माला, चमकीली धातु श्री धातु का पेंडेड चैन के साथ, सफेद चमकीली व पीली धातु का हार व कान का एक जोड़ी सेट, पीली धातु की चौन पेंडेट के साथ व पीले धातु व रंग बिरंगे नग की रजवाड़ा अंगूठी, सफेद धातु की Tissot कम्पनी की हाथ घड़ी, पीले रंग की Raddo कम्पनी की हाथ घड़ी, हरे नग व पीले धातु की एक जोड़ी बाली, हरे

नग व पीले धातु का एक पेंडेंट व एक जोड़ी कान का सेट व पीले धातु की चैन, नीले व सफेद चमकीले धातु का एक पेंडेंट व एक जोड़ी कान का राधा कृष्ण बना हुआ इयर रिंग, पीले रंग की ज्वैलरी का सेट, सफेद हरा लाल रंग की ज्वैलरी एक अदद, सफेद पीले लाल रंग का एक अदद हार, सफेद धातु की ज्वैलरी एक पैकेट मे, दो कड़ा सफेद धातु, दो जोड़ी पायल सफेद धातु, दो कड़े नगदार सफेद धातु, एक ब्रेसलेट सफेद धातु, एक कड़ा सफेद धातु, तीन पायल बिना जोड़ी के सफेद धातु, एक अदद मांग टीका सफेद धातु, एक जोड़ी बिछिया मोर बना हुआ सफेद धातु, एक जोड़ी बिछिया सफेद धातु, एक अदद राधा कृष्ण पीली धातु, एक अदद फूल वाली बिछिया सफेद धातु, एक जोड़ी बिछिया नग वाली सफेद धातु, एक अंगूठी सफेद धातु, एक अदद बिछिया सफेद धातु, एक जोड़ी कान के टप्स सफेद लाल धातु, एक जोड़ी बिछिया फुटप्रिंट वाली सफेद धातु, एक जोड़ी झुमकी सफेद धातु, एक बिछिया फूल वाली सफेद धातु, एक जोड़ी इयर रिंग सफेद धातु, 11 बिछिया सफेद धातु एक पैकेट मे, एक रुद्राक्ष माला सफेद धातु, एक जोड़ी बिछिया लाल पैकेट मे सफेद धातु, एक रुपये के नोट 44 अदद, एक रुपया, पांच रूपया, 10 रुपया का पुराना सिक्का एक एक अदद, कान का पेंडेट एक दूसरा टूटा हुआ मेटेल का, दो सफेद चमकीला नग का डिब्बा व खाली ज्वैलरी व बैक के डिब्बे बरामद हुआ व उसी बैग से एक अदद पिस्टल 7.62 बोर जिस पर गन नम्बर F1007179 अंकित है व उसी बैग से शस्त्र का लाइसेंस जिसपर नम्बर LN33590A7AB6418 व शस्त्र धारक अजय सिंह बघेल व 9 अदद जिंदा कारतूस 7.62 बोर व उसकी जेब से एक अदद मोबाइल Samsung S25 Ultra IMEI 356284535294609, 356537895294602 जिसमें मोबाइल नम्बर 8882241359 बरामद हुआ। प्रस्तुत मामले में धारा 331(4) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत अधिकतम 14 वर्ष के कारावास की सजा का प्राविधान है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त आकर्ष सिंह उर्फ यश मुख्य षडयंत्रकारी रहा है जिसके द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर एक सुनियोजित आपराधिक षडयन्त्र के तहत उक्त भारी मात्रा में आभूषण, नकदी एवं पिस्टल की चोरी, जिसकी कीमत 8–10 करोड़ रूपये बतायी गयी है, की गयी है। प्रस्तुत मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले का अपराध अन्य धाराओं के साथ धारा 61(2) बी0एन0एस0 जोकि 'आपराधिक षडयन्त्र' से सम्बन्धित है, उसके अन्तर्गत भी है। इस सन्दर्भ में विधि सुस्थापित है कि 'आपराधिक षडयन्त्र' में शामिल सभी व्यक्ति समान–रूप से दायी होते हैं, चाहे उनकी भूमिका भिन्न–भिन्न ही क्यों ना रही हो। अभियुक्त आकर्ष सिंह वादी मुकदमा का पड़ोसी है एवं सम्बन्धित हाउसिंग सोसाइटी में ही रहता है। सहअभियुक्तगण

की जमानत पूर्व में खारिज की जा चुकी है तथा इस अभियुक्त की भूमिका उक्त अपराध में मुख्य षडयंत्रकारी के रूप में है।

अस्तु उक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता एवं बरामदगी को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त आकर्ष सिंह उर्फ यश उर्फ आकर्ष सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त आकर्ष सिंह उर्फ यश उर्फ आकर्ष सिंह की ओर से अ0सं0 355/2026, धारा–331(4),305(A),317(2),61(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना–कोतवाली नगर, जिला बाराबंकी के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(विनय कुमार सिंह–III)
JO Code UP 6068
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–1, बाराबंकी।

दिनांक 08.06.2026